संख्या-1186/मं0स0(264)/2021

प्रेषक,

ओ0 पी0 द्विवेदी

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं

संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ ।

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र- 2, समुदाय केन्द्र

प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

माध्यमिक शिक्षा (NOC) अनुभाग मेरठ

दिनांक : 14-07-2021

विषय :- गिलोरियस पब्लिक स्कूल जेवर विकास खण्ड जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर को सी0 बी0 एस0 ई0 , नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या –1916/15-7-9 (299)/ 2007 दिनांक14-07-2009 द्वारा गठित मण्डलीय समिति की बैठक दिनांक14-07-2021 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का निर्णय लिया गया :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी / ट्रस्ट का समय - समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) संख्या के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(3) कर्मचारियों कि सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(4) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(5) फीस उन्हीं मदों में चार्ज किये जाये जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हो । फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यत: उस क्षेत्र में पुर्व से स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है । काशनमनी / भवन शुल्य इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय ।

(6) राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग द्वारा समय – समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

(7) उक्त शर्तों में राज्य सरकार / मण्डलीय समिति / शिक्षा विभाग के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं में रखा जायेगा ।

(9) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(10) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड आफ सैकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली / कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वत: समाप्त हो जायेंगे।

(11) नि: शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।

(12) संस्था की वार्षिक आय - व्यय का सी ए द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा- जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जायें।

(13) यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, जो राज्य सरकार / मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(ओ0 पी0 द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या – 1186/मं0सं0 (264)/ 2021 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ।
(2) जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
(3) संयुक्त सचिव (शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(4) शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
(6) प्रबंधक, गिलोरियस पब्लिक स्कूल जेवर विकास खण्ड जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।

(ओ0 पी0 द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक एवं सदस्य सचिव
मेरठ मण्डल, मेरठ।